

## In the Court of ADJ-II, Aurangabad

STR Case No:- 513/2008/712/2023

State Vs Shambhu mahto

### 12-12-2024:-

एक मात्र अभियुक्त शंभु महतो अनुपस्थित है। अभियोजन की ओर से धारा 299 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही साक्षी प्रस्तुत करने वास्ते समयावेदन दिया गया। अतः अभियोजन साक्ष्य बन्द किया जाता है। दिनांक 11.11.2024 के आदेशानुसार अभियुक्त को फरार घोषित किया गया है। कार्यालय लिपिक स्थाई गिरफ्तारी वारंट निर्गत करें एवं अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

ए0डी0जे0-II

## In the Court of ADJ-II, Aurangabad

STR Case No:- 64/2008/302/2023

State Vs Mangal Paswan

**28-08-2024:-**

अभियोजन की हाजरी है। एक मात्र अभियुक्त मंगल पासवान अनुपस्थित है। अभियोजन की ओर से धारा 299 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही साक्षी प्रस्तुत करने वास्ते समयावेदन दिया गया। अतः अभियोजन साक्ष्य बन्द किया जाता है। दिनांक 17.08.2024 के आदेशानुसार अभियुक्त को फरार घोषित किया गया है। कार्यालय लिपिक स्थाई गिरफ्तारी वारंट निर्गत करें एवं अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

ए0डी0जे0-II

## In the Court of ADJ-II, Aurangabad

STR Case No:- 104/1997/456/2023

State Vs Paramjit Singh

**30.08.2024:-**

एक मात्र अभियुक्त जैला सिंह अनुपस्थित है। अभियोजन की ओर से धारा 299 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही साक्षी प्रस्तुत करने वास्ते समयावेदन दिया गया। अतः अभियोजन साक्ष्य बन्द किया जाता है। दिनांक 09.08.2024 के आदेशानुसार अभियुक्त को फरार घोषित किया गया है। कार्यालय लिपिक स्थाई गिरफ्तारी वारंट निर्गत करें एवं अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

ए0डी0जे0-II



## In the Court of ADJ-II, Aurangabad

STR Case No:- 216(A)/2010/ 859/2023

State Vs Jawahir Ram

25.09.2024:-

एक मात्र अभियुक्त जवाहीर राम अनुपस्थित है।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया, वाद अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 11.09.2024 को अभियुक्त के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उसे फरार घोषित किया जा चुका है और वाद अभिलेख को धारा 299 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियोजन साक्ष हेतु निश्चित किया गया था लेकिन आज तक अभियोजन की ओर किसी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही साक्षी प्रस्तुत करने वास्ते समयावेदन दिया गया। ऐसी स्थिति में धारा 299 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत साक्ष्य को बन्द किया जाता है। कार्यालय लिपिक अभियुक्त जवाहीर राम के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट निर्गत करें एवं अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

ए0डी0जे0-II